[23/12/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 1612]

परिशिष्ट-1-दुष्प्र-01

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1612 के प्रश्नांश "क" की जानकारी
माननीय सदस्य - डॉ० गोविन्द सिंह बैठक दिनांक 23-12-22

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

आदेश

क्रमांकः ई–5/1005/आयएएस/लीव/5/1 भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2022

श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे (2007) विकअ–सह–आयुक्त–सह–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल को दिनांक 21–09–2022 से दिनांक 10–10–2022 तक 20 दिन के अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में विकअ–सह–आयुक्त–सह–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल का प्रभार श्री के.सी. गुप्ता, भाप्रसे, (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को उनके वर्तनान कर्तव्यों के साथ–साथ सौंपा जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पृ. क्रमांकः ई–5/1005/आयएएस/लीव/5/ भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपिः–

1. श्री के.सी. गुप्ता, भाप्रसे, प्रनुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग।
2. श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे, विकअ–सह–आयुक्त–सह–पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र. तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. उप सचिव (लेखा) म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

(जितेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव "कार्मिक"
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

परिशिष्ट का प्रपत्र–2

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक– 1612 के प्रश्नांश 'ख' की जानकारी।

माननीय विधायक– डॉ0 गोविन्द सिंह बैठक दिनांक 23.12.2022

क.	विषय	आदेश क./दिनांक	कृत कार्यवाही
1	म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक के सेवानियम संशोधन एवं पदोन्नति नीति के संबंध में किये गये संशोधन/नवीन कण्डिका।	आदेश क0–4144/30.09.2022	कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.09.2022 से बैंक सेवायुक्तों के दैनिक यात्रा भत्ते, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों के भर्ती के अनुपात, सेवायुक्तों की शैक्षणिक अर्हताओं के प्रावधान, संविदा नियुक्ति के प्रावधानों, प्रतिनियुक्ति पर सेवाये प्राप्त करने की नीति/नियमों में संशोधन किये गये है।
		आदेश क0–4183/07.10.2022	कार्यालयीन आदेश दिनांक 07.10.2022 के द्वारा शीर्ष बैंक के सेवायुक्तों के वेतनमान का पुनरीक्षण किया गया है।
		आदेश क0–4406/10.10.2022	कार्यालयीन आदेश दिनांक 10.10.2022 से शीर्ष बैंक की विभिन्न श्रेणी के पदोन्नति के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने की नीति लागू की गयी है।
2	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सेवानियम संशोधन एवं पदोन्नति नीति के संबंध में किये गये संशोधन/नवीन कण्डिका।	आदेश क0/ साख/ विधि/ 2022/4145 दिनांक 30.09.2022	सेवानियम क0–07 की कण्डिका 7.1.2 उच्च पद के कर्तव्य पर कार्य हेतु समयमान प्राप्त होने पर पृथक से वेतन निर्धारण की आवश्यकता न होने के संबंध में एवं अनुसूची–03 के कमांक–5 में मध्यम प्रबंधन 01 हेतु आवश्यक अर्हताओं में संशोधन।
		आदेश क0/ साख/ विधि/ 2022/4198 दिनांक 07.10.2022	सेवानियम क0–06 की कण्डिका 6.3.3 संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के संबंध मे। अनुसूची–04 के कमांक–1(क) एवं 1(ख) आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक में छूट प्रतिस्थापित किये गये एवं अनुसूची–3(अ) नवीन संस्थापित की गयी जिसमें संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के भर्ती की चयन प्रकिया का लेख है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.